MR. CHAIRMAN : The result* of the division is :

Ayes : 26

Noes : 32

The motion is not carried by the required majority.

The motion was negatived.

16.50 Hrs.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL
(Substitution of Article 370)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर) : मैं प्रस्ताव करता हूं "कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

सभापति महोदय, संविधान की धारा 370 में संशोधन करने के लिए मैंने यह विधेयक प्रस्तुत किया है। प्रत्येक लोकसभा में इस आशय के विधेयक पेश होते रहे हैं। यदि आप संविधान पर दृष्टिपात करें तो आप पायेंगे कि धारा 370 संविधान के ऐसे अंश में समन्वित है जिसे संविधान निर्माताओं ने टेम्पोरेरी और ट्रैंजिशनल कहा है। संविधान का भाग 21 अस्थायी और अन्तर्कालीन है। इस शीर्षक से स्पष्ट है कि इस भाग के अन्तर्गत जो धाराएं हैं, अनुच्छेद हैं, वे किसी विशेष परिस्थिति के कारण संविधान में शामिल किए गये थे और संविधान के निर्माता चाहते थे कि यह उपबन्ध संविधान के स्थायी अंग न बनें।

मुझे याद है कि जब इस धारा पर संविधान परिषद् में बहस हो रही थी तब मौलाना हसरत मोहानी ने कहा था कि धारा 370 का समावेश करके जम्मू और कश्मीर के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है ? सचमुच यह धारा जम्मू और काश्मीर के साथ कोई विशेष रियायत नहीं करती। यह वहां के नागरिकों के साथ भेद भाव करती है। उन्हें सारे देश के नागरिकों के समान स्तर पर नहीं आने देती और इसी लिए मौलाना हसरत मोहानी ने कहा था कि आप जम्मू काश्मीर के साथ यह डिस्क्रिमिनेशन क्यों करते है। डा० गोपालस्वामी आयंगर ने इसका जो उत्तर दिया था मैं उसको उद्धत करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था कि :

> "This discrimination is due to the special conditions in Kashmir. That particular State is not yet ripe for this kind of integration. It is the hope of everybody here that in due course, even Jammu and Kashmir will become ripe for the same sort of integration as has taken place in the case of other States."

The following Members also recorded their votes:

AYES : Sarvashri D. K. Panda and Mohanraj Kalingarayar.

NOES : Sarvashri Banamali Patnaik, Chandra Shailani, Nageshwar Rao, Nathu Ram Mirdha and Anant Prasad Dhusia.

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

16.53 Hrs.

[MR SPEAKER *in the Chair*]

जो माननीय सदस्य पुरानी लोक-सभा मे थे उन्हें याद होगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के वक्त में जब जब धारा 370 को समाप्त करने का मामला उठाया गया, उन्होने भी कहा कि वक्त के साथ यह धारा भी समाप्त हो जाएगी। उन्होने भी कहा था कि यह धारा अस्थायी है। मुझे याद है, उन्होने एक बार कहा था कि यह धारा घिसते-घिसते घिस जाएगी। नेहरू जी के दिमाग मे यह बात साफ थी कि यह धारा 370 सदैव के लिए हमारे संविधान का हिस्सा बन कर नही रहेगी। लेकिन संविधान को स्वीकृत हुए 21 वर्ष हो गए, यह धारा कायम है। आप इस धारा पर दृष्टिपात करें तो पता लगेगा कि यह धारा कितनी अनावश्यक और निरर्थक हो गई है। मैं उद्धृत कर रहा हूं

> "Notwithstanding anything in this Constitution,
>
> (a) the provisions of Article 238 shall not apply in relation to the State of Jammu and Kashmir,"

आर्टिकल 238 अब संविधान मे है ही नही। वह धारा निकाल दी गई क्योंकि वह 'बी' श्रेणी के राज्यो के सम्बन्धित थी। 'बी' श्रेणी के राज्य हमारे मान-चित्र से तिरोहित हो गए। संविधान मे उनका अस्तित्व नही है और न अब संविधान मे धारा 238 ही पाई जाती है, लेकिन धारा 370 मे उस धारा 238 का उल्लेख बना हुआ है। इस धारा 370 मे आगे कहा गया है कि :

> "(b) the power of Parliament to make laws for the said State shall be limited to
>
> (i) those matters in the Union List and the Concurrent List which, in consultation with the Government of the State, are declared by the President to correspond to matters specified in the Instrument of Accession governing the accession of the State to the Dominion of India as the matters with respect to which the Dominion Legislature may make laws for that State,"

उस समय भारत एक डोमीनियन के रूप मे उल्लिखित किया गया था। अब हमारा पूर्ण स्वाधीन देश है। आज भारत डोमीनियन नही है, लेकिन धारा 376 मे डोमीनियन का उल्लेख चल रहा है। इस धारा मे काश्मीर के महाराज का भी उल्लेख है जब कि काश्मीर मे राजतन्त्र समाप्त कर दिया गया है। पहले वहा सद्रे रियासत थे और अब वहां अन्य राज्यो की तरह से राज्यपाल हैं। लेकिन भारत के इस संविधान मे अगर कोई विद्यार्थी इस धारा को उठा कर देखेगा तो यह समझने मे असमर्थ रहेगा कि यह धारा हमारे संविधान मे क्यो चली आ रही है।

अब प्रश्न पूछा जा सकता है कि आप इस धारा को हटाने पर क्यो बल दे रहे हैं। सब से बड़ी बात तो यह है कि यह धारा जम्मू काश्मीर और शेष भारत के बीच मे एक मनोवैज्ञानिक दीवार खड़ी करती है। किसी राज्य का विशेष दर्जा क्यों होना चाहिए ? एक ओर हम कहते हैं कि जम्मू और काश्मीर भारत का अविच्छिन्न भाग है, और इसमे कोई दो राये नही हो सकती लेकिन दूसरी ओर हमने इसको एक विशेष

दर्जा दिया हुआ है। संविधान में एक यूनियन लिस्ट है। उस यूनियन लिस्ट के अन्तर्गत दिए गए विषयों पर यह सदन कानून बना सकता है, लेकिन जम्मू और काश्मीर के बारे में यह स्थिति नहीं है। अभी हमने संविधान का चौबिसवां संशोधन पारित किया और संविधान के उस संशोधन का इस आधार पर समर्थन किया गया कि वह इस सदन की सर्वोपरिता को प्रस्थापित करता है। यह सदन सर्वोपरि है, यह सदन सर्वोच्च है, यह सदन सर्वोच्च न्यायालय से भी बड़ा है, यह बात कही गई। लेकिन जहां जम्मू और काश्मीर का सवाल आता है, यह सदन जम्मू और काश्मीर की विधान सभा से बड़ा नहीं है। यह अन्तर्विरोध कैसा है? इसलिए मैंने संशोधन उपस्थित किया है कि अब समय आ गया है कि हम यह स्पष्ट कर दें कि जहां तक यूनियन लिस्ट का सम्बन्ध है, इन विषयों का सवाल है, उसके लिए जम्मू काश्मीर की सरकार से पूछने की आवश्यकता नहीं होगी।

17 Hrs.

मैं नहीं जानता कि इस तरह का संशोधन क्यों नहीं लाया जा रहा है। यह ठीक है कि जबसे संविधान बना है तब से लेकर आज तक की जो स्थिति है उसमें परिवर्तन हुआ है। जम्मू काश्मीर शेष भारत के अधिक निकट आया है। जो महा लेखा परिक्षक हैं वह वहां लेखों की जांच कर सकते हैं। चुनाव आयोग का अधिकार जम्मू काश्मीर राज्य तक विस्तृत हो गया है तथा और भी अनेक सामाजिक सुधार सम्बन्धी कानून जम्मू काश्मीर पर लागू किए जा रहे हैं लेकिन इसके बाद भी इस बात को भुलाया नहीं जा सकता कि धारा 370 संविधान में मौजूद है और जो अस्थायी अन्तर्कालीन प्रबन्ध था वह जम्मू काश्मीर को शेष भारत से अलग करने का कारण बन गया। अनुच्छेद 370 में यह भी उल्लेख किया गया है कि अगर कोई कानून लागू किया जाएगा तो वह जम्मू काश्मीर की विधान निर्मात्री परिषद् की सलाह से किया जाएगा। संविधान निर्मात्री परिषद् बाद में बनी। उसने भारत में मिलने का फैसला किया। वह जनता का फैसला है और वह फैसला अपरिवर्तनीय है। जम्मू काश्मीर भारत के अभिन्न अंग के रूप में हमारा एक भाग है। लेकिन अनुच्छेद 370 में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। मैं चाहता हूं कि यह परिवर्तन किया जाए। परिवर्तन की प्रक्रिया का आरम्भ होना चाहिए इस बात से कि हम यूनियन लिस्ट में दिए गए विषयों पर एक सभा को इस सदन में कानून बनाने का पूरा अधिकार दे रहे हैं।

मैंने एक मनोवैज्ञानिक दीवार की बात कही। दीवार केवल मनोवैज्ञानिक नहीं है, कुछ भौतिक भी है। भारत का कोई नागरिक जम्मू काश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकता। हमारे राष्ट्रपति महोदय को भी जब एक पोस्ट आफिस के लिए जमीन लेने की जरूरत पड़ी तो बड़ी कठिनाई हुई क्योंकि वहां जम्मू काश्मीर में जमीन वही खरीद सकता है जो जम्मू काश्मीर का सबजैक्ट हो। अभी तक यह सबजैक्ट शब्द चला आ रहा है, प्रजाजन शब्द चला आ रहा है। राजतन्त्र समाप्त हो गया है सबजैक्ट बने हुए हैं। किस के सबजैक्ट जम्मू काश्मीर गणतन्त्र का एक भाग है। लेकिन एक पुरानी परिपाटी चली आ रही है, शब्दावली दोहराई जा रही है। दीवार ढाने के बजाय और भी मजबूत की जा रही है। इस आधार पर उसका समर्थन किया जा रहा है कि

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

अगर दूसरों को जमीन खरीदने का अधिकार दे दिया गया तो भारत के पूंजीपति जा कर जम्मू काश्मीर की सारी जमीन खरीद लेंगे। कैसी हास्यास्पद बात है? इसके लिए संविधान में धारा 370 की आवश्यकता नहीं है। जमीन खरीद पर प्रतिबन्ध लगाया जा सकता है। मैं तो यूनियन लिस्ट को शामिल करने की बात कर रहा हूं। बाकी के सारे विषय तो राज्य सरकार के लिए बचे हुए रहेंगे। वह कानून बना सकती है और किसी को जमीन खरीदने का अधिकार देना या न देना यह राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आएगा। वैसे मैं समझता हूं कि भारत के हर एक नागरिक को किसी भी भाग में जा कर बसने, जमीन खरीदने, काम धन्धा शुरू करने का अधिकार होना चाहिए। यह भावनात्मक स्पष्टीकरण के लिए आवश्यक है। जम्मू काश्मीर के सम्बन्ध में एक आर्थिक पहलू भी है। हम देख रहे हैं कि वहां उद्योग धन्धों का जितना विकास होना चाहिए, नहीं हुआ है। राज्य सरकार को जो विपुल धनराशि दी गई है वह भी ठीक तरह से खर्च नहीं की गई है। केन्द्र सरकार बड़ी परियोजनाएं जम्मू काश्मीर में आरम्भ कर नहीं सकी। अब सुना है कि श्रीनगर में कोई टेलीफोन की फैक्ट्री लाख दो लाख खर्च करके लगाने की बात हो रही है। वहां पर शिक्षा निःशुल्क है। नौजवान पढ़ रहे हैं, विश्वविद्यालयों से निकल रहे हैं। उन्हें रोजगार चाहिए। रोजगार के लिए औद्योगीकरण आवश्यक है। यदि वहां पूंजी उपलब्ध नहीं है, साधन उपलब्ध नहीं हैं तो भारत से ले जा कर पूंजी लगाई जा सकती है। अब वहां कोई पूंजी लगाना नहीं चाहता। उस में बाधाएं हैं। अनुच्छेद 370 बाधक है। औद्योगिक विकास जिस गति से होना चाहिए नहीं हो रहा है। इस कारण शिक्षित वर्ग में असन्तोष है। और जहां-तहां प्रदर्शन होते हैं। लेकिन जम्मू काश्मीर में असन्तोष का राष्ट्र विरोधी तत्व लाभ उठाते हैं, इस बात को हमें भूलना नहीं चाहिए। विद्यार्थी हड़ताल करें, न्यायोचित मांगों के लिए संघर्ष करें विद्यार्थी रोजगार मांगे तो पड़ोसी पाकिस्तान उसका भारत विरोधी रूप प्रस्तुत करता है। हर सवाल को भारत विरोधी बना कर पेश करता है। ये समस्याएं देश के और भागों में भी हैं। लेकिन जम्मू काश्मीर की तरफ हमें विशेष ध्यान देना होगा। वहां आर्थिक विकास की गति को और तेजी से बढ़ाना होगा। बिजली पैदा करने के काम में तेजी लाई जा सकती है। कई पहलू ऐसे हैं जिन पर केन्द्रीय सरकार ध्यान दे सकती थी लेकिन उसने नहीं दिया। मैं उन सब बातों में नहीं जाना चाहता और मेरे विधेयक का यह विषय भी नहीं है। मैं तो इतना ही कह रहा हूं कि जहां तक जम्मू काश्मीर का सम्बन्ध है शेष भारत को जम्मू काश्मीर से अलग रखने वाली धारा 370 की समाप्ति पर सक्रिय विचार होना चाहिए और उसका आरम्भ होना चाहिए। मैंने जिस प्रकार का संशोधन दिया है, और उसमें जो ढंग सुझाया है, उसको मैं आपके सामने उद्धृत करना चाहता हूं.

> 'Notwithstanding anything in this Constitution the power of Parliament to make laws for the State of Jammu and Kashmir shall be limited to . ..."

लिमिटेशन रहेगी, वह आज भी है। लेकिन अब तो यूनियन लिस्ट के बारे में भी हम बिना जम्मू काश्मीर की सरकार से राय लिए हुए कोई कानून नहीं बना सकते

हैं। मैं चाहता हू कि यह बात समाप्त कर दी जाए।

"(a) the matters in the Union List, and

(b) such other matters in the Concurrent and State Lists as, with concurrence of the Government of the State, the President may specify.

Explanation — For the purposes of this article, the Government of the State means the Governor of Jammu and Kashmir acting on the advice of the Council of Ministers of the State for the time being in office."

एक संशोधन मेरा और भी है। अभी तो हम यूनियन लिस्ट के बारे मे संसद् को कानून बनाने का अधिकार दें लेकिन 26 जनवरी, 1972 के बाद यह आर्टिकल 370 जो है इसको निरस्त कर दिया जाना चाहिए, इसका इनआपरेटिव कर दिया जाना चाहिए। इनआपरेटिव करने का प्रबन्ध इसी अनुच्छेद के अन्तर्गत किया गया है। मैं उद्धृत करना चाहता हू :

"Notwi hstandmg anything in the foregoing provisions of this article, the President may by public notification declare that this article shall cease to be operative or shall be operative only with such exceptions and modifications and from such date as he may specify."

राष्ट्रपति यदि चाहें तो पूरी धारा को निष्प्रयोजनीय बना सकते हैं। उसके लिए जम्मू काश्मीर राज्य सरकार की सहमति लेना आवश्यक होगा। लेकिन मैं नहीं समझता हू कि उन्हें सहमति देने में कोई आपत्ति होगी।

आज जम्मू काश्मीर संकट में है। पड़ोसी की आंख उस पर लगी है। हो सकता है कि फिर से घुसपैठिये भेज कर वह उस घाटी की शान्ति को भंग करना चाहे लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता को भरोसा है कि सारा भारत उसकी पीठ पर खड़ा है। हमारी सेना के वीर जवान अपनी जान दे कर जम्मू काश्मीर की रक्षा करने के लिए कमर कस कर तैयार खड़े हैं। अगर हमारे जवान जम्मू काश्मीर के लिए जान दे सकते हैं तो क्या वहां जमीन खरीदने का अधिकार नहीं पा सकते ?

यह संसद् अगर जम्मू-काश्मीर के विकास के लिए गत बीस वर्षों मे 300 करोड रुपये से अधिक रुपये की धनराशि दे सकती है, तो क्या यूनियन लिस्ट के अन्तर्गत जम्मू-काश्मीर के लिए कानून नहीं बना सकती है ?

अभी तक कहा जाता था कि यह मामला संयुक्त राष्ट्र संघ मे पड़ा हुआ है, पाकिस्तान उसे कुरेदता रहता है, हमें अनुच्छेद 370 को छूना नहीं चाहिए, विधिवत रूप से उसे समाप्त नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको धीरे-धीरे घिसने की कोशिश करनी चाहिए, अब तो स्थिति यह है कि जम्मू-काश्मीर के सवाल पर पाकिस्तान को बोलने का कोई मुंह नहीं है। जम्मू-काश्मीर के लोग भी समझ रहे हैं कि जो पूर्वी बंगाल के निवासी पाकिस्तान के निर्माण के साथ ही से पाकिस्तान में थे, जिन मे से अधिकांश मुसलमान हैं, उनके साथ पाकिस्तान की फौजी हुकूमत ने कैसा व्यवहार किया है। मैं नहीं समझता कि

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

उस के बाद जम्मू-काश्मीर में एक भी व्यक्ति ऐसा निकलेगा, जो कहना चाहेगा कि हमें भारत के लोकतंत्र को छोड़ कर, भारत की बराबरी को छोड़ कर, उसकी समता को छोड़ कर पाकिस्तान की सैनिक तानाशाही के पैरों तले रौंदा जाना स्वीकार होगा।

इसलिए यह आवश्यकता है कि हम जम्मू-काश्मीर के सवाल को संयुक्त राष्ट्र संघ से वापिस ले लें। इस बारे में भी जितनी भी अनिश्चितता है, उसे समाप्त कर दें। पाकिस्तान का कोई दावा नहीं है। पाकिस्तान जम्मू-काश्मीर में आक्रमणकारी है। एक-तिहाई काश्मीर जो पाकिस्तान के कब्जे में है, उसकी स्थिति क्या है, यह सारी दुनिया जानती है। इस की तुलना में अनेक अभावों और अनिश्चितताओं के बावजूद जम्मू-काश्मीर भारत का एक हिस्सा है। उसने प्रगति की है। वहां लोकतंत्र है। जनता ने अपनी तकदीर का फैसला किया है। वहां निष्पक्ष चुनाव होते हैं वहां के प्रतिनिधि अपना शासन चला रहे हैं। वहाँ के प्रतिनिधि इस संसद् में भी बैठे हुए हैं। मैं समझता हूँ कि अनुच्छेद 370 को समाप्त करने का समय आ गया है। अगली 26 जनवरी को अनुच्छेद 370 निष्प्रयोजनीय हो जाना चाहिए और उससे पहले आज हम यह संशोधन स्वीकार करें कि जहां तक यूनियन लिस्ट का सवाल है, इस सदन को कानून बनाने का अधिकार होगा।

मैं आशा करता हूँ कि सदन मेरा यह विधेयक स्वीकार करेगा और चौधरी साहब भी कुछ ऐसा उत्तर देंगे, जो प्रतिपक्ष को भी पसन्द आयेगा।

MR. SPEAKER : Motion moved :

"That the Bill further to amend the Constitution of India, be taken into consideration."

There is an amendment by Mr. Daga for circulation of the Bill for eliciting opinion.

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

अगले सत्र के पहले दिन तक "कि विधेयक पर राय जानने के लिये उसे परिचालित किया जाये"

अध्यक्ष महोदय, संविधान का अनुच्छेद 370 कब समाप्त किया जायेगा, यह सोचते-सोचते कितने ही वर्ष हो चुके हैं। सरकार ने कई बार यह उद्घोषणा की है कि काश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। हिन्दुस्तान की अखंडता, एकता और अक्षुण्णता को बनाये रखने के लिए हमें सब कुछ करना चाहिए। इससे पहले कई बार इस विषय पर चर्चा हो चुकी है लेकिन समझ में नहीं आता कि अभी तक अनुच्छेद 370 को समाप्त करने में सरकार के सामने क्या बाधा है। जब हम यह मान चुके हैं कि बिना काश्मीर के हम हिन्दुस्तान को अधूरा समझते हैं और जब इस बात का निर्णय हो चुका है कि काश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, तो इस विषय में कोई निर्णयात्मक कदम न उठाना सरकार की कमज़ोरी ही हो सकती है। सरकार ने कहा है कि हम आर्टिकल 370 को समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन वह उचित समय पर करेंगे। वह उचित समय कब आयेगा? सरकार की ओर से कहा जाता है कि इस बारे में कई संशोधन हो चुके हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर के बजाये चीफ़ मिनिस्टर

कर दिया गया है, और भी कई कदम उठाये गये है हम देखते है कि आज भी कुछ असामाजिक तत्व, अनसोशल एलिमेंट्स, काश्मीर मे सक्रिय है । सवाल यह है कि जब सरकार कहती है कि काश्मीर इस देश का अभिन्न अग है, तो फिर उसका एक अलग रूप क्यो कायम रखा जा रहा है ।

मैने यह सशोधन पेश किया है कि इस विधेयक को पब्लिक ओपीनियन जानने के लिए सर्कुलेट किया जाय । आज हमारे देश मे कुछ विशेष परिस्थितिया है । इस सशोधन के बारे मे राष्ट्रपति की आज्ञा लेनी होगी और अनुच्छेद 368 के अनुसार काश्मीर की विधान सभा की राय भी लेनी होगी । बगला देश के कारण देश मे एक गम्भीर स्थिति पैदा हो गई है । पाकिस्तान हमारे देश के साथ युद्ध करने पर उद्यत दिखाई देता है । इस स्थिति मे उस प्रश्न को उठाना राजनैतिक और व्यावहारिक दृष्टि से उचित प्रतीत नही होती है । बगला देश से एक करोड रेफ्यूजीज हमारे देश मे आ चुके हैं इसलिए ऐसे समय मे सविधान मे सशोधन करना कहा तक उचित और न्यायपूर्ण होगा ?

हम सब की एक ही राय है कि जम्मू काश्मीर भारत का अभिन्न अग है और अब अनुच्छेद 370 को समाप्त किया जाना चाहिए । यह बात जम्मू–काश्मीर की जनता और विधान सभा भी मान चुकी है । लेकिन जैसे कि मैने कहा है, आज देश मे विशेष परिस्थितिया हैं, हालत बहुत खतरनाक है । मैं समझता हूँ कि श्री वाजपेयी भी सोच-समझ कर इस निष्कर्ष पर पहुचेंगे कि इस सकटपूर्ण स्थिति मे यह प्रश्न उठाना और इस सविधान (सशोधन) विधेयक को पारित कराना उचित नही होगा । इस बारे मे काश्मीर के लोगो की कानफरेंस लेनी होगी । इस लिए मै समझता हू कि इस विधेयक को पब्लिक ओपीनियन जानने के लिए सर्कुलेट किया जाये ।

हम इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि श्री वाजपेयी का विधेयक पारित होने के बाद क्या होगा । एक वैक्यूम क्रीएट हो जायेगा । इस लिए मुझे यह जरूरी मालूम होता है कि उसके लिए कुछ इन्तजाम किया जाय । इसके अलावा जम्मू-काश्मीर के लोगो को उसके बारे मे सोचने और अपनी राय देने का मौका देना चाहिए । इसी दृष्टि से मैने यह सशोधन रखा है कि इस विधेयक के बारे मे पब्लिक ओपीनियन जानी जाय ।

SHRI S P BHATTACHARYYA Mr Speaker Sir I wish, to speak in Bengali

MR SPEAKER No you are speaking in English

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE He wants your permission to speak in Bengali

MR SPEAKER After all, we should try to understand each other But if this practice continues, that is Member from every State trying to speak in his own language

AN HON MEMBER There is interpretation

MR SPEAKER I am not concerned with interpretation All right Now he may speak as he likes. I will give my ruling in Punjabi I want an interpretation in Punjabi now The hon Member may come to the front and speak.

*SHRI S. P. BHATTACHARYA (Uluberia). Mr. Speaker, Sir, I rise to speak against this attempt to snatch away the rights of the State of Jammu and Kashmir. I oppose this move, keeping m view the situtions prevailing in the country today as well as the feeling of the people of that State For strengthening the unity of India it is necessary that only such steps should be taked whereby State becomes stronger and comes forward willingly and voluntarily to cooperate with the Centre The special status under article 370 of the Constitution was allotted to Jammu and Kashmir in accordance with the wishes of the people of that State and I feel, Sir, that was justly done

My party feels that every State should be given more powers to function Excepting some all India subjects like Defence, Foreign trade, Finance, etc, the States should be given more powers in other fields That will induce them to come forward willingly to help and strengthen the Centre No such steps should be taken as may generate a feeling among the people of some regions that they are being pressurised by the Centre That will cause frustration among them If this is done, it will weaken the unity and integrity of India

In this connection, I will cite the example of the Soviet Union which is a multilingual and multiracial land When that country was attacked by the Fascist hordes of Hitler, we have seen how they united together and came forward to defend their country. The result was that they crushed the Titanic hordes of Hitler If we want to make India strong with the willing cooperation of the people of different States, then the Government should give more powers to the States.

In the present critical times it will not be proper to create a feeling of pressurisation and frustration in the minds of the people of any State This I feel will affect the unity of India.

In the situation prevailing m Kashmir today, instead of usurping its rights through Central legislation, it should be the endeavour of the Central Government to create trust and confidence in the minds of the people of that State by giving them more powers and opportunities for development Other States should also be given more powers and treated in a similar way

My party feels that such an atmosphere of trust should be created through the delegation of more powers to the States so that their willing cooperation with the Centre can be better achieved That will strengthen the unity of India and make the country really strong With this hope and belief, Sir, I oppose this Bill. I thank you for giving me this opportunity to participate in the debate

SHRI INDER J MALHOTRA (Jammu) In the past also this question of the abrogation of article 370 had come up for discussion here in one way or the other Whether it was in the form of a resolution or a Constitution amendment Bill or of questions directed at the Ministry of Home Affairs, the consensus in this House had been in favour of abrogation

I remember during the budget session of 1966, Shri Prakash Vir Shastri had brought forward a resolution here At that time, all the 6 members of the Jammu and Kashmir State were in support of it Then the Minister had assured us that steps would be taken to see that whatever constitutional or legal discrepancies remained would be removed without loss of time.

Today Shri Vajpayee has come to the House for the substitution of this article.

*The original speech was delivered in Bengali.

In principle, I am in entire agreement with him. This is a Bill which will remove any misunderstandings being created in the minds of these people who even today want to believe that Jammu and Kashmir is not an integral part of India. I would humbly make this appeal to Shri Vajpayee and others. As far as the people of the State are concerned, they have entirely forgotten the existence of this article in the Constitution. Why ? Because in the past, under the leadership of Shri Sadiq who heads the Congress Government in the State, some measures were taken by which the people of Jammu and Kashmir started feeling that now for all practical purposes there are no barriers existing between the State and the rest of India. So let us not rekindle this controversy about the basis of article 370. The question is not whether Jammu and Kashmir is an integral part of India. This is only a legal controversy, but for all practical purposes, even for administration, no barriers exist between the Central Government, the State Government and the rest of India.

Shri Vajpayee mentioned about the restrictions on purchase of land in the State. In principle, I am in entire agreement with him that a citizen of the country should be free to settle down in any part of the country and carry on his business or profession. Even though this restriction is there in the State, for all practical purposes this has never come in the way of genuine parties wanting to come and settle in the State and adopting any profession they choose. For the information of Shri Vajpayee, I may say that people with financial resources can come into the State and start industry. The State Government approached Birlas, Sahu-Jains and other big industrialists in the country. Today there is a factory run by the Birlas and another run by Sahu-Jains. So this restriction on acquisition of land by those not domiciled in the State has never come in the way of industrial or other developmental purpose in the State. The only purpose of having this restriction is because there is scarcity of agricultural land. 95 per cent of the population of that State is entirely dependent upon agriculture. Even today we are trying to reduce the ceiling on agricultural land so that more land can be distributed among the landless. I would say that since the people's resources are very meagre, and it so happens that Nature has created that land of beauty, there is a possibility that there may be expoitation of those poor people. Merely from that point of view, today, the Congress party and the State Government feel that this restriction on indiscriminate sale of agricultural land should be there. But for all other purposes, for industrial development, this restriction never came in the way and it will never come in the way.

It is also said that Jammu and Kashmir State enjoys a special status. When we interpret this article 370, merely from the legal angle, we can say, yes, Jammu and Kashmir State enjoys a special status, because, every law which is passed by this house does not automatically become applicable to the State of Jammu and Kashmir unless the State Assembly ratifies it and another amendment is brought before this House that this legislation will also apply to the Jammu and Kashmir State. For all other practical purposes, what special status are we enjoying ? When we ask for an IAS officer on deputation from the Ministry of Home Affairs to be deputed to work in the Jammu and Kashmir State, it is those officers who enjoy the special status. Merely by taking advantage of this Constitutional discrepancy, they make their own service rules. They provide for themselves free residential accommodation. They provide for themselves deputation allowances. I would say that even today, if this article is existing in the Constitution of India, it is because the officers of the Ministry of Home Affairs benefit by it; not the people of Jammu and Kashmir State.

[Shri Inder J. Malhotra]

Rather, it is our great concern and complaint; here I would like to give an instance without naming that officer. It really shocked me very much. One IAS officer was deputed to the State of Jammu and Kashmir. He worked in that State in various capacities. He was appointed as Deputy Commissioner of a district. One day, I went to his office and was having a chat with him. He, in all seriousness, was telling me, a Member of Parliament, that he has come from such and such a province of a State to serve the people of Jammu and Kashmir State. He said that in such a tone as if the State of Jammu and Kashmir is a colony of the Union of India and this officer has been entrusted with a mission to go there and serve the people of Jammu and Kashmir State. The need now is to remove such barriers. The need is to improve the attitudes of the people who go to work there, and this is what is required for the emotional integration of the people of that State with the rest of India.

My other friend moved a substitute motion for eliciting public opinion. I am entirely in opposition to this. As I have said earlier, it will be a very unfortunate situation to link the existence of article 370 with this, and to abrogate article 370, it should not also become a referendum. There is no need to elicit public opinion. The majority of the members of the Assembly in Jammu and Kashmir State, the political party today in the Government there and that party's leader, Shri Sadiq, and others have time and again emphasised the need for abrogation of article 370.

Now the ball lies in the court of the Central Government. Last time also this House was assured that steps were being taken to make this article as ineffective as possible. I entirely agree. The credit goes to Shri Sadiq. He took the initiative that all the major measures should apply to the State of Jammu and Kashmir and that became a major factor. The people of the State had completely forgotten that article 370 exists in the Constitution. Today the problem before us is very simple. It is for the Central Government to decide whether it will be beneficial in the future to keep this article or whether it will be beneficial to abrogate this article. The alternative suggestion of Shri Vajpayee through this Bill is the substitution of this article.

I am only praying that such an important decision should be taken by the Central Government. It was the duty of the hon. Home Minister to have come to a final decision and make a final announcement today in this House as to what will be the future policy of the Central Government regarding the abrogation of article 370.

I know that even today the reply will be given in a stereo typed manner as it was done last time. Instances will be quoted that the jurisdiction of the Election Commission, the Supreme Court etc. have been extended, the Governor is there; the Chief Minister is there instead of the Prime Minister.

I entirely agree, as I said before, that these things have created an atmosphere by which the people of Jammu and Kashmir have a feeling that they have fully integrated themselves with the rest of India. But the legal difficulties that are there must be removed. No time should be lost.

I would in the end humbly suggest to the hon. Minister that if he has not got clear instructions to announce the final decision of the Central Government today, he should ask for more time and the discussion may be postponed because I think that this discussion regarding the abrogation of article 370 should be the last discussion and it should go to Mr. Vajpayee's credit that he created history in this House and ultimately article 370 was abrogated.

श्री भोगेन्द्र झा (जयनगर): अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक का जो उद्देश्य है, उस मे कोई मतभेद की बात नही ग्रा सकती, लेकिन जहां तक धारा 370 का सम्बन्ध है, उसको बनाये रखना, उसका जो भी सीमित रूप ग्रब रह गया है, वह बेतुका-सा लगता है। यह भी सही है कि लोगो के मनोवैज्ञानिक रूप मे भी ग्रौर व्यवहार से भी कुछ दिक्कतें ग्रौर कठिनाइया पैदा हो जाती है, मगर इन सभी बातो को ध्यान मे रखते हुए ग्राज जिस दौर मे हम गुजर रहे हैं, उस पर भी ध्यान देने की ग्रावश्यकता है, क्या इस मौके पर इस धारा को हटाना हमारे देश के लिये फायदेमन्द होगा ?

एक चीज़, ग्रध्यक्ष महोदय, चूंकि सवाल उठ गया हैं, इसलिये कहना चाहता हूं। जिस पृष्टभूमि मे हमारी मातृभूमि का बटवारा हुग्रा—इस समझ के ग्राधार पर कि क्षेत्रीय राष्ट्रीयता कुछ तत्वो को कुबूल नही थी, इसलिये साम्प्रदायिक राष्ट्रीयता का नारा लगाया गया, जिसके बडे ग्राचार्य मोहम्मद ग्रली जिन्ना थे। तो बटवारा हुग्रा। काश्मीर के ऊपर जो ग्राजकल दावा चल रहा है उसके पीछे वही बात है। जिन्ना साहब के मानने वाले कोई ग्रगर हो तो वे खुल कर ऐसी बात ग्रभी नही रख रहे हैं कि ग्राज भी भारत में क्षेत्रीय राष्ट्रीयता नही होनी चाहिए, साम्प्रदायिक राष्ट्रीयता होनी चाहिए। लेकिन ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति हैं जो बाजाब्ता खुले ग्राम यह कहते हैं, इस का प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं कि क्षेत्रीय राष्ट्रीयता गलत है, ग्रनुचित है। यह कहने वाले ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति हैं जिन से दुर्भाग्यवश वाजपेयी जी का गहरा सम्बंध है। मेरा मतलब गोलवलकर जी से है। जिन्होंने पढ़ा है वह जानते होंगे कि उनके बंच ग्राफ थाट्स क्या है जिस का बड़े पैमाने पर प्रसार किया गया। इस तरह इस देश से जिन्ना साहब तो चले गए, उनकी मृत्यु हो गई परन्तु उन की ग्रात्मा ग्राज भी साकार मौजूद है। श्री गोलवलकर जी कहते है कि टेरिटोरियल नेशनलिज्म नही चलनी चाहिए, उसको बर्दाश्त नही करना चाहिए। तो ग्राज यह चीज खुले ग्राम प्रसारित हो रही है। किताब के रूप मे छाप कर उस की बिक्री हो रही है। टेरिटोरियल नेशनलिज्म के खिलाफ खुले रूप मे प्रचार किया जा रहा है। ग्रब ग्रगर भौगोलिक या क्षेत्रीय राष्ट्रीयता नही होगी तो किस राष्ट्रीयता के ग्राधार पर हम काश्मीर के पूर्ण विलय के लिए मांग कर सकते हैं सिवाय क्षेत्रीय राष्ट्रीयता के ? तो मैं कहना चाहता हू एक यही पृष्ठभूमि है जो हमारी राष्ट्रीय एकता को ग्रौर ग्रखडता को कुछ सीमित करती है, कुछ सकुचित करती है, मनोवैज्ञानिक रूप से भी। इसीलिए मैं ने जो समय की बात कही थी वह इसी संदर्भ मे थी।

उसके साथ एक दूसरा मामला भी सबद्ध है। काश्मीर का एक हिस्सा ग्राक्रमण के जरिए हम से ग्रलग पड़ा है। हम जानते हैं कि वहां पर गिलगिट मे ग्राज भी ग्रमरीकियो का ग्रड्डा है, । हमारी मर्जी के खिलाफ है, लेकिन है। पाकिस्तान की फौजी हुकूमत ग्रमरीकी हथियारो ग्रौर शस्त्रों से जिस प्रकार ग्राज बंगला देश पर जुल्म ढा रही है उसी प्रकार काश्मीर के उस पाक-ग्रधिकृत हिस्से पर भी जुल्म ढा रही है। तो उस हिस्से के लिए हमारे दिमाग में क्या है ? काश्मीर के लोगो ने इस बात को नहीं माना है—जहां तक मेरी ग्रपनी जानकारी काश्मीर के लोगों की है—कि वह हिस्सा हमेशा के लिए उनसे ग्रलग हो गया।

[श्री भोगेन्द्र झा]

हमारे जैसे आदमी कभी भी इस बात को नहीं मानते कि आक्रमण से यदि कोई इलाका अलग हो गया तो वह स्थायी रूप से अलग हो गया। काश्मीर की इस स्थिति में अभी धारा 370 का जो रूप है उसको यदि हम हटा लें तो उन लोगों को साथ लेने में या उन के आकर्षण में हम को मदद मिलेगी या बाधा उत्पन्न होगी इस बात को हमें देखना है। ···(व्यवधान)···इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अभी हम जानते हैं जिस आधार पर पाकिस्तान के फौजी तानाशाहों ने अपने विभिन्न इलाकों को खत्म कर दिया, पाकिस्तान के अन्दर भाषावार राज्यों को राइफल के बूते पर खत्म किया उसका एक नजारा बंगला देश में हम देख रहे हैं। हम आशा करते हैं अगर यही हथियारों का राज्य वहां पर रहा तो पश्चिम पाकिस्तान में भी विभिन्न भाषावार राज्य फौजी हुकूमत के खिलाफ बगावत करेंगे। कुछ यही बात भारत में भी हुई थी। भारत में हमारी सरकार ने यह फैसला दिया था कि भाषावार राज्य नहीं होने चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि कई सौ लाशें उठने के बाद आन्ध्र बना। कितने ही लोगों के मरने के बाद महाराष्ट्र बना। उस समय बहुत से लोग कहते थे कि जो भाषावार राज्य की बात करते हैं वे पन्द्रह पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। लेकिन केरल तामिलनाडु से लेकर पंजाब तक भाषावार राज्य बनने के बाद हमने देखा कि कुछ मानों में शांति भी हुई और कुछ मानों में देश की एकता भी मजबूत हुई। यद्यपि कुछ भविष्य वक्ता कहते थे कि भाषावार राज्य बनने से देश की एकता कमजोर होगी, परन्तु उनके ख्याल गलत साबित हो गए हैं। ऐसा कहने वालों में कुछ भारत सरकार के प्रमुख लोग भी थे जिन्होंने बगैर सैकड़ों लोगों की जान लिए यह कबूल नहीं किया कि भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का विभाजन हो। इस देश की आजादी के बाद के ये तथ्य आज हमारे सामने मौजूद हैं। इस पृष्ठभूमि में हम क्या रूप आज भारत में प्रस्तुत करना चाहते हैं उस इलाके के लिए जहां पर फौज के नीचे जनता कराह रही है? मेरा मतलब पाक-अधिकृत काश्मीर से है। हम देखना चाहते हैं कि हमारे यहां हरएक व्यक्ति को पूरी तरह से अपनी धार्मिक आजादी है। पूर्वी बंगाल में तलवार के बल पर उर्दू लादने की कोशिश हुई और हमारे यहां भी कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहे देश भले ही टूट जाय लेकिल कभी हिन्दी के नाम पर, कभी किसी नाम पर तलवार के बल पर उसको लादना चाहते हैं। लेकिन हम ने देखा कि जब भी कभी ऐसी चीज लादने की कोशिश की गई हमारी एकता को धक्का लगा। और जब हम ने थोड़ा संयम रखा और यह समझा कि तलवार के बल पर हम किसी भाषा को नहीं लाद सकते हैं तभी हमारी राष्ट्रीय एकता मजबूत हुई। तामिलनाडु की मिसाल हमारे सामने है और डी० एम० के० के भाई यहां मौजूद हैं। ऐसी स्थिति में मैं कहना चाहता हूँ कि आज तक का जो हमारा इतिहास रहा है और मल्होत्रा जी ने सही कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में काश्मीर की जो मौजूदा सरकार है उस के माध्यम से 370 धारा बिखरती जा रही है और सारी चीजें अपने आप होती चली जा रही हैं, चाहे वह अलग ध्वज का सवाल हो या प्रधान मंत्री के शब्द का सवाल हो। अभी उन्होंने औद्योगिक मामलों के सम्बन्ध में जो बात कही जिस को कि मैं नहीं जानता था कि वहां पर कल कारखाने के लिए कोई ज़मीन लेना चाहे तो उस में भी कोई बाधा नहीं है···(व्यवधान)·····

ऐसी स्थिति में एक और पहलू पर भी हम ध्यान दिलाना चाहेंगे। कई राज्यों की

यह मांग उठ रही है कि किस हद तक केन्द्र दखल दे और किस हद तक केन्द्र दखल न दे ? किस हद तक केन्द्र का हक राष्ट्रीय एकता के लिए लाभदायक होगा और किस हद तक लाभदायक नहीं होगा। हम जानते हैं कि काश्मीर भारत का सब से पहला राज्य था जिस ने जमीन की हदबन्दी कर के भूमि का बटवारा किया था। जिस समय वहां पर बटवारा हुआ था भारत में किसी राज्य में नही हुआ था। और मुझे आशंका है कि यदि उस समय यह बात रहती कि बगैर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के नही होगा तो शायद वह होता भी नहीं। कारण यह है कि जमीदारों और भूस्वामियों का सरकार पर बड़ा प्रभाव है···(व्यवधान)······आज यद्यपि बड़े परिवर्त्तन हो गए हैं, बिहार में सारी जमींदारी समाप्त होने के बावजूद भी टाटा की जमीदारी अभी भी कायम है। बिहार की विधान सभा और विधान परिषद ने सत्रह महीने पहले उस को मिटाने का कानून पारित कर दिया था लेकिन आज तक उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं हो पाए है। वह मामला लटका हुआ है। आज भी जनतंत्र पर यह अंकुश लगा हुआ है कि विधान सभा और विधान परिषद् द्वारा पारित विधेयक पर अमल नही हो पाता। जोड़ी बैल से गाय बछड़ा होने के बाद भी आज यह सच्चाई हमारे सामने है। ऐसी स्थिति में जब हमारा देश बहुभाषी देश है और हमारी राष्ट्रीय अखंडता की भावना सर्वोपरि है और उसमें विभिन्नता — का जो हिस्सा है जिस को मान कर हम एकता को मजबूत करते हैं उस पृष्ठभूमि में मेरा आग्रह होगा कि जिस तरह से धारा 370 का खात्मा काश्मीर राज्य की सरकार के सहयोग से ही होता चला गया है, वैसी स्थिति में यहां लोक सभा से कुछ ऐसा पारित कर दें जिस के मानी यह हों कि काश्मीर की विधान सभा शायद ऐसा नहीं चाहती थी और हम उस को ऊपर से लाद रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि वह हमारे उद्देश्य की पूर्ति में बाधक होगा जिस उद्देश्य की पूर्ति हम इस विधेयक के द्वारा करना चाहते हैं। साम्प्रदायिक राज्य के सिद्धांत पर सन् 47 में हम ने एक पाप किया था जिस से हमारी मातृभूमि का बटवारा हुआ और दुर्भाग्य से आज भी इस देश में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं। तो ठीक इस मौके पर जब बंगला देश में एक नई क्रान्ति हो रही है जो कि मैं समझता हूँ पाक-अधिकृत काश्मीर में भी छिड़ेगी, बल्कि पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में भी छिड़ेगी जो कि साम्प्रदायिक राष्ट्रीयता को चूर-चूर कर देगी। इस मौके पर हमारे लिए यह उपयुक्त नही होगा कि काश्मीर के मामले में काश्मीर की जनता की मर्जी से वहां की विधान सभा की मर्जी से या सरकार की मर्जी से जो परिवर्त्तन हो, उस को हम यहां से रोक दें। आज की स्थिति में यह मुनासिब नही होगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि यह विधेयक इस उद्देश्य की पूर्ति में बाधक होगा।

SHRI P. K. DEO (Kalahandi): Mr. Speaker, Sir, being one of those who have placed everything they possess at the feet of mother India to see her integrated democratically, it is my duty to congratulate my distinguished colleague, Shri Atal Bihari Vajpayee, who has kindly brought forward this non-official Bill. This may be defeated in this House but it will have a tremendous impact in the country because it is a timely move.

As I was pointing out yesterday, this country is a beautiful tapestry where various cultures and languages have been interwoven to make it a beautiful whole. The diversity of cultures and languages is

[Shri P. K. Deo]

the richness of this country and unity in diversity is the special characteristic of this nation. We are all Indians and there should not be any such provision in the Constitution which will give rise to even an iota of doubt regarding the nationalism of its citizens.

I would like to point out in this connection that the retention of this article in the Constitution is redundant. It has absolutely no effect. It reminds us of those days when Kashmir had a separate Prime Minister and separate Constitution. Even today it has a separate flag. I have myself seen during the independence day celebrations in Kashmir in Srinagar streets only the Kashmiri flag flying and only one or two Indian flags.

I had the privilege of serving in Joint Committees on many Bills like the Commission of Inquiry (Amendment) Bill, Lokpal and Lokayukt Bill and the Criminal Procedure Code (Amendment) Bill and invariably in every case we have taken the views of the Government of Jammu and Kashmir. In all cases they have ungrudgingly extended their hand of co-operation and they have agreed that the scope of the Bill should be extended to the State of Jammu and Kashmir.

In view of all these facts, and specially after hearing Shri Inder J Malhotra, there is absolutely no ground why this article should form part of our Constitution. It is an anachronism in our Constitution and it is redundant. It is high time that it is completely abrogated. When that is the feeling of the government also, why should there be any fear that the abrogation of the article will lead to serious repercussions. On the other hand, at a time when we find that fissiparous tendencies are growing in this country, when political parties are trying to fan communal and other feelings for their own ulterior motives, it is high time that all States are treated equally and it is ensured that there is no discrimination between Jammu and Kashmir and Orissa, West Bengal or Madhya Pradesh.

My hon. friend, Shri Bhogendra Jha was saying that it might lead to further resentment in the people of Jammu and Kashmir. Why should it be so? Then it was said that ultimately we may have to take recourse to armed suppression. Why should it be so? Such a thing could be possible only in a Communist country. Such a thing could be possible only where there is Breznev doctrine. Such a thing could be possible only if the national upsurge of the people is surppressed. The aspirations of the people have been suppressed in Czechoslovakia by Russian intervention. But why can it be ever thought of in a country like ours where all of us feel proud to be Indians and where even the people and the leadership of Kashmir are anxious that this provision should go?

That is the consensus of this House and I think it is the feeling of the Government, even though we will get the same stereotyped and identical reply that we got last time on Shri Prakash Vir Shastri's motion. I hope, the Government would take courage in both hands and declare here and now that this provision would be abrogated.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (SHRI NITIRAJ SINGH CHAUDHARY): Mr. Speaker, Sir, Vajpayeeji who has moved the Bill has spoken in Hindi and other friends have spoken in Hindi and English; therefore, with your permission, I would like to reply to some points raised by Vajpayeeji in Hindi and in English.

श्री वाजपेयी ने बोलते समय यह कहा था कि नहरूजी ने यह आश्वासन दिया था कि संविधान की यह धारा 370 धीरे-धीरे घिसती जायेगी और घिस कर बिल्कुल

समाप्त हो जायेगी । मैं समझता हू कि वह आश्वासन ठीक था और उसका अक्षरश. पालन किया गया है । यह धारा इतनी घिस गई है कि अगर श्री वाजपेयी थोडा सब्र रक्खे तो थोडे समय मे यह बिल्कुल घिस जायेगी । मैं उनको बतलाऊगा कि किस तरह से यह धारा घिसती जायेगी ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह आप घिस्सा दे रहे हैं ।

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : घिस्सा नही दे रहा हू, वास्तविकता बतला रहा हू ।

There are two problems We should consider the present position and what will happen if this Bill is accepted and passed The present position is that the entries in the Union and concurrent Lists can be extended to Jammu and Kashmir after consultation with and concurrence of the Government of Jammu and Kashmir The various Presidential orders issued under Article 370 have extended various laws passed by this august House to the State of Jammu and Kashmir As I said, gradually this article is losing its force. I will cite instances. Union departments, like Customs, Central Excise, Posts and Telegraphs, Civil Aviation, All India Radio etc., have their operations extended to the State of Jammu and Kashmir

18 Hrs

The scheme of all India services is also applicable to Jammu and Kashmir with the result that I A. S. and I. P S. officers are being posted to States My hon. friend, Shri Malhotra, referred to certain privileges that these officers are taking in Jammu and Kashmir My colleague, the Deputy Home Minister, was here and I pointedly drew his attention to it and, I hope, he will take note of it and take suitable action

MR SPEAKER Now, he may continue the next time

The House stands adjourned till 11 A M on Monday

18 01 Hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, November 22, 1971/Agrahayana 1, 1893

M.L.M. PRD.—Lok Sabha (O. V.)— 1010— 14-12-71